

ORDER

Permission has been granted sri. बेनेदिक तिकी

S/O स्व. तेलेश्वोर तिकी Village गोतरा ठाकुर टोली

P.S. सिमडेगा District Simdega, to transfer. The

following land to श्री श्रीमती निशा देवी

S/O, W/O श्री चक्रधारी चक्रवर्ती Village मुड़िया धनई टोली

P.S. सिमडेगा District Simdega by the L.R.D.C., Simdega in his order

dated 03-10-2009 in Rev: case No. 111 of 2009-10

U/S 46 C.N.T. Act.

Village Thana Thana No. Khata No. Plot No. Area (in acres) Value for sale

दुर्गा

गोतरा-सिमडेगा-80-101-4882-0.08 र. - 1,44,000=00 आवासीय  
ठाकुर टोली।

(0.34 र. केंसे) (रु. एक लाख,  
चौबालीस हजार) मात्र।

चौधरी- उ. - प्लॉट नं. 4881 टांड।

द. - कच्ची रास्ता।

पू. - इसी प्लॉट का अंश नीजा बिक्रेता।

फ. - इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदती।



होल

Sd/ उपसमाहर्ता  
नू. सु. सिमडेगा  
L.R.D.C. Simdega

Memo No. 865 (ii) Rev. Dated, (simdega the 03-10-2009)

Copy forwarded to the Sub-Registrar, Simdega and Sri बेनेदिक तिकी

Village गोतरा ठाकुर टोली P.S. सिमडेगा District, simdega for

Information and needful.

3/10/9

उपसमाहर्ता

नू. सु. सिमडेगा



1-10-09

अभिलेख उपस्थापित किया गया। मास रिजल्ट  
का नमूना उल्लेख प्राप्त है तथा मंचल  
अधिकारी, सिमडेगा का जॉब उल्लेख भी  
प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।  
बिन्दु, अपने विद्या अधिकार के  
साधक से जमान दर्ज कराने हेतु उपस्थित  
है। अंतिम का बयान दर्ज किया गया। मास २००९।



उस महादत्त अधिकारी,  
सिमडेगा



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

3-10-09

अभिलेख उप-समादनी, अफि सुधार, सिमडेगा।

दौतानापुर कारशकारी अधिनियम, 1908, की धारा 46 के अन्तर्गत।

अनुमति याद-सं. - 111/2009-10

श्री वेनेदिक तिकी - लिखित।

बनाम

श्रीमती जिशा देवी - क्षेत्र।

आदेश




आवेदक श्री वेनेदिक तिकी, पिता स्व. तेलैस्फोर-  
तिकी, ग्राम- गौतरा ठाकुर टोली, थाना-सिमडेगा,  
जिला-सिमडेगा ने निम्नलिखित विवरण की अफि को  
दौतानापुर-कारशकारी अधिनियम, 1908, की धारा-  
46 के अन्तर्गत लिखित करने की अनुमति के  
लिए आवेदन-पत्र दिया है -

जमीन का विवरण

ग्राम थाना थानां स्वामां लॉटनं रकबा  
गौतरा-सिमडेगा- 80- 101- 4882- 0.08 अ.  
ठाकुरटोली।  
(0.34 अ. में है)

कुल रकबा (शब्दों में) आठ दशमल भाग।

आवेदक अपनी आवेदित अफि की सकारण बनाते।




Handwritten signatures and official marks at the bottom of the page.

के लिए अपनी रसिदगानी जागीर को अपने प्रसाधित  
 क्रेता श्रीमती निशा देवी, परि-श्री चक्रवर्ती-पीक-  
 बड़ाईक, ग्राम- मुड़िया चण्ड टौली, थाना-सिमडेगा,  
 जिला-सिमडेगा, के पास खिजी कर रहा है।  
 एक भाग सूचना के कार्ड भी कहीं से किसी प्रकार  
 की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

मंचल अधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक-132,  
 दिनांक 1-10-09 के द्वारा जांच प्रतिवेदन तथा  
 भाग सूचना का राशिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो  
 अभिलेख में संलग्न है। मंचल अधिकारी, के  
 जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रसाधित रसिदगानी  
 की रसिदगानी गूफि है। प्रसाधित रसिद के रसिदगानी  
 श्रेतर पंडरा मुठरा वन्द चण्डा मुठरा हैं। चण्डा  
 जगकन्दी श्रेतर फ्रांसिस मुठरा को साकेल मुठरा को  
 मरिसस मुठरा पेशरान पंडरा मुठरा हैं। आवेदन  
 रसिदगानी श्रेतर पंडरा मुठरा का परपीता है। आवेदन  
 अपना काराधिकारि विस्वा, स्वाधित्त एवं दरलन-कला  
 की रसिद को खिजी कर रहा है।


विक्रेता, 'मुठरा' जाति के तथा क्रेता-पल्ल  
 बड़ाईक' जाति के सदस्य हैं, जो अनुष्ठित  
 जन-जाति के अनुष्ठित-आले हैं। ये दोनों  
 एक ही भाग के विकारी हैं। प्रसाधित रसिद  
 की खिजी के कार्ड-आवेदन के पास  
 66 डि. गूफि बचती है।



Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the document.

क्रिकेता द्वारा सूक्ति तथा शिवा से संकेतित  
 कागजात में लगान रसीद और रवतिमान  
 की दाया प्रति प्रस्तुत किया गया है तथा  
 क्रैता का उही नाम के निवासी रहने के  
 प्रमाण में अपने प्रति के दादा के नाम के  
 रवतिमान की दाया प्रति तथा साथ में  
 प्रमाण के रूप में नौदरी पब्लिक लिमिटेड  
 द्वारा निर्दिष्ट वंशावली शपथ-पत्र संख्या  
 9168, दिनांक 1.10-09 दाखिल किया है जो  
 मसिलेव में संलग्न है।

क्रिकेता ने अपने जमान में कहा है कि  
 ग्राम- गोरग ठाकुर टोली, भावनं. 80, ग्राम-  
 लिमिटेड स्थित खेत नं. 101, प्लॉट नं. 4882, रकबा  
 ए. 0.08 बी. जमीन श्रीमती विद्या देवी, प्रति-  
 श्री चक्रवर्ती पीक बहाईक, ग्राम- मुदिम, पति-  
 लिमिटेड, जिला- लिमिटेड को रु. 1,44,000 = 00  
 (एक लाख, चौरालीस हजार) में अपनी रवतिमान  
 जमीन को रकबा बनाने के लिए राजी-सुशी  
 से बेच रहा है। यह जमीन बेचने के बाद शेष  
 पार ए. 1.59 डि. जमीन बच जायगी। क्रैता  
 का 'पीक- बहाईक' गाति होने का  
 प्रमाण-पत्र की दाया प्रति भी मसिलेव में संलग्न है।



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

मतः अधोलिखित अधिकारी, सिमडेगा के जॉन्स  
 प्रतिवेदन, आवेदन के बयान तथा समस्त  
 कागजात के अवलोकन के पर्यन्त केवल  
 श्रीमती निशा देवी, पति- श्री चक्रवर्ती-पील  
 कड़ाईक, ग्राम- मुद्दिमा चण्डी रोली, थाना-सिमडेगा,  
 जिला-सिमडेगा के पदा में एचि रु. 1,44,000-00  
 (एक लाख, चौकालीस हजार) में निम्नांकित विवरण  
 की भूमि को दोहनागपुर कारखाना अधिकारी,  
 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत खरीदने की अनुमति  
 दी जाती है।

तदनुसार-विद्यमान-निर्गत-करें।  
 भूमि मा विवरण

ग्राम थाना थानां खतानं क्षेत्रं रकबा दुर्गा  
 गौतरा-सिमडेगा-80-101-4882-0.088. आदर्शिक  
 ठाकुरदोली। (0.342. केंके)


कुल रकबा (शब्दों में) आठ-दशमिना मात्र।  
 तेशाफिर।

34 अमादती, भूमि सुधार,  
 सिमडेगा

3/10/9  
 34 अमादती, भूमि सुधार,  
 सिमडेगा

तीन प्रति-विद्यमान-पर-दस्तावालिफत। निर्गतकरें।

3/10  
 34 अमादती, भूमि सुधार,  
 सिमडेगा।




पंजीकृत कर  
 6

Handwritten notes on the right margin, including the name 'श्रीमती निशा देवी' and other illegible text.

कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिन्धुद्वारा

पत्रांक: 131/.....  
दिनांक: 1/10/1979



देवा में,

अनुमति पत्र अधिकारी, सिन्धुद्वारा, भूमि सुधार उपसमिति, सिन्धुद्वारा

विषय - छोटा नागपुर अस्तकारो अधिनियम धारा 16 के अन्तर्गत  
जमीन हस्तांतरण के अनुमति के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

प्रसंग - परमोशन केस नम्बर 141 सन् 2009-10  
1. निम्नलिखित के संबंध में प्रश्न

1) क. आवेदक (हस्तांतरणकर्ता) का नाम;  
पिता का नाम/पूरा पता;  
ख. जाति।

श्री. जैनेन्द्र सिंह निवासी ग्राम - गौरी  
मैदान, सिन्धुद्वारा तहसील, सिन्धुद्वारा  
जिला सिन्धुद्वारा।  
पत्निका श्रीमती मन्दा - पत्नी श्री

2) खतियानो रंयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध:

3) जमीन्दारी विलियम के पदधान उक्त जमीन की  
जमाबन्दी संस्था तथा जमाबन्दी दार का नाम।

जमाबन्दी संस्था - 101  
जमाबन्दी दार - श्रीमान श्रीमान - 2

4) वत्तमान जमाबन्दी संस्था / जमाबन्दी दार का नाम।

जमाबन्दी संस्था - 101  
जमाबन्दी दार - श्रीमान श्रीमान

5) वत्तमान जमाबन्दी दार को किस प्रकार भूमि प्राप्त हुई।

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रंयत का नाम।

7) आवेदक तथा उक्त रंयत का संबंध:

8) उक्त जमीन के किन्ने हिस्सेदार हैं तथा  
आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा  
स्वाभिव एवं दल।

9) क्या आवेदक वत्तमान गृधारी के अथवा वट्टे भूधारी के  
वंशज हैं, जिनके लिए लैण्ड सिलिंग का फंड है।

10) क. क्या उक्त जमीन भूदान:  
ख. लैण्ड सिलिंग किससे वाद में सम्मिलित है।

जमीन बेचने का आवश्यक एवं ओचित्य:

11) जमीन का क्रिम एवं ब्योरा का  
जाति।

जमीन का मूल्य जो अगत - 1000 रु.  
उक्त क्रिम जमीन विक्री के अनुसार है।

जमीन का वत्तमान मूल्य:

विक्री के हिस्से के अनुसार जमीन।

विक्री के बाद के जमीन

जमीन का मूल्य	1000	1000	1000
जमीन का मूल्य जो अगत	1000	1000	1000
जमीन का मूल्य जो अगत - 1000 रु.	1000	1000	1000
उक्त क्रिम जमीन विक्री के अनुसार है।	1000	1000	1000
जमीन बेचने का आवश्यक एवं ओचित्य:	1000	1000	1000
जमीन का क्रिम एवं ब्योरा का जाति।	1000	1000	1000
जमीन का मूल्य जो अगत - 1000 रु.	1000	1000	1000
उक्त क्रिम जमीन विक्री के अनुसार है।	1000	1000	1000
जमीन का वत्तमान मूल्य:	1000	1000	1000
विक्री के हिस्से के अनुसार जमीन।	1000	1000	1000
विक्री के बाद के जमीन	1000	1000	1000



समस्त



